

न्यायालय नायब तहसीलदार भकरी मौलास (नागौर)

राजस्थान सरकार

जरिये पटवार हल्का **भकरी**

बहक

श्री महेंद्रसिंह पुत्र जयसिंह राजपूत
श्री महावीर पुत्र श्रवणराम गिंवारीया
श्री नैमीचन्द पुत्र मिलापचन्द महाजन
पुत्र श्री.....

जाति..... नि. **भकरी**

मुकदमा नं. 01/2017

राज. भू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91

निर्णय दिनांक 03/08/2017

प्रकरण का संक्षिप्त में सार निम्नवत है कि ग्राम **भकरीमौलास** खसरा, नम्बर 310
रकबा 0.3808 हैक्टर किस्म **श्री.मु.गौचर** (राजकीय भूमि) पर संवत् 2074 में श्री **महेंद्रसिंह पुत्र जयसिंह राजपूत**
पुत्र श्री..... जाति..... निवासी **श्री महावीर पुत्र श्रवणराम गिंवारीया**
श्री नैमीचन्द पुत्र मिलापचन्द महाजन (जिसे **भकरी**
आगे अप्रार्थी कहा गया है) द्वारा **फ़सल रक्रीफ़ संवत् 2074में** कर अतिक्रमण किये जाने पर पटवारी हल्का
अर्न्तगत अप्रार्थी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु रिपोर्ट प्रस्तावित की।

पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तावित रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को राज. भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अर्न्तगत नोटिश जारी कर तलब किया गया। तलबी पर अप्रार्थी

महेंद्रसिंह पुत्र जयसिंह राजपूत व नैमीचन्द पुत्र मिलापचन्द महाजन
उपस्थित। अप्रार्थी महावीर पुत्र श्रवणराम गिंवारीया अनुपस्थित। अप्रार्थी नैमीचन्द द्वारा
लिखित में जवाब पेश किया गया जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का द्वारा ग्राम **भकरीमौलास**
ख.न. 310 रकबा 0.3808 किस्म **श्री.मु.गौचर** पर संवत् 2074 में विना विधिक
अधिकार के अनाधिकृत नाजायज रूप से राजकीय भूमि पर **रवन्दक व बाड़कर** कर अतिक्रमण किये जाने पर अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अतः प्रकरण में आदेश दिये जाते हैं कि :-


(1) अतिक्रमी को आरजी राज से बेदखल किया जाकर कब्ज बहक सरकार लिया जावे।

(2) लगान दर रूपया **5/- प्रति है** का 50 गुणा रूपया **9.50** **0रु. पूर्णक 9.00 रु.**
(रूपये **अधरे** **नौ** रूपये) शास्ति
कायम की जाती है।

..... निर्णय की
क्रियान्विती हेतु पटवारी हल्का **भकरी** भु. अभिलेख निरीक्षक **बागोट**
..... एवं तहसील राजस्व लेखाकार को पालनार्थ आदेश जारी किये जाये।

पत्रावली निर्णित शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 03/08/2017 का सरे इजलास सुनाया।


नायब तहसीलदार **भकरी मौलास**
(नागौर)
जिला - नागौर (राज०)